न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 88/2014/75 एलआर एक्ट

1. दिनेशकुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 19 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़।
2. नेमीचन्द पुत्र पदमदास जाति स्वामी निवासी 4 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.07.2012 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर सूरतगढ़ प्र0सं0 9/2008 अनवानी प्रार्थना पत्र रेस्पो0 सं. 2

उपस्थित :–

श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांक –21.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे एक शिकायत प्रार्थना पत्र रेस्पो0 सं. 2 की ओर से पेश किया गया कि अपीलांट को रोही सूरतगढ़ के खसरा नं. 462/4 मे 25.19 बीघा अस्थाई आवंटन गलत करवाया गया क्योंकि अपीलांट सरकारी कर्मचारी एंव खुद काश्त नही करता है। इस आधार पर शिकायत दर्ज कर कार्यवाही की जावे। जिसमे अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत किया कि दिनेश कुमार को रोही सूरतगढ़ के खसरा नं. 462/4 की 25.19 बीघा बारानी भूमि का अस्थाई आवंटन दिनांक 29.01.1981 को समक्ष अधिकारी द्वारा किया गया है जो अप्रार्थी को काश्तकार पेशा व भूमिहीन काश्तकार मानकर किया गया है तथा दिनांक 29.07.1981 को अप्रार्थी किसी भी विभाग मे किसी भी पद पर कार्यरत नही था। सन् 1986 तक अप्रार्थी को सद्भाविक काश्तकार एवं सभी शर्तो की पूर्णतया पालना करते रहने के कारण प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण होता रहा है। सन् 1986 मे उपनिवेशन विभाग समाप्त होने के पश्चात विवादित भूमि की नवीनीकरण प्रक्रिया नही की जाती है। अप्रार्थी सन् 1986 से 1996 तक 11 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी पर जलदाय विभाग मे कार्य पर रखा गया था। प्रतिदिन की मजदूरी पर नियुक्त व्यक्ति सरकारी नौकर नही माना जा सकता। सन् 1997 से अप्रार्थी को अस्थाई कर्मचारी की हैसियत से नियत वेतन श्रृखंला मे वेतन मिलना शुरू हुआ है। उपरोक्त तथ्यो का सही अवलोकन नही कर आवंटन निरस्त कर विवादित भूमि रिज्यूम करने के आदेश पारित किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश

दिनांक 15.01.2014 के जरिये उक्त अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ न्यायालय मे अन्तरित की गई। दिनांक 27.10.2014 को पत्रावली प्रस्तुत हुई। यह पत्रावली श्री सन्तकुमार बुडानिया तत्कालीन पीठासीन अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपने ही निर्णय के विरूद्ध सुनवाई नही कर सकने के कारण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 15.01.2014 से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई थी चूंकि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी सेवानिवृत हो चुके है। ऐसी स्थिति मे उक्त पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर को वापस स्थानान्तरित करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल से अनुमति बाबत विचाराधीन थी। दिनांक 16.08.2017 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त अनवानी दिनेश कुमार बनाम स्टेट आदि मे निर्णय पारित करते हुये निर्देशित किया कि उक्त अनवानी पत्रावली मे उभय पक्ष को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देकर आगामी तीन माह के अन्दर निर्णित करने का प्रयास करें। रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 सं. 1 स्टेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो0 सं. 2 की रजिस्टर एडी पेश हुई। बाद तामील रेस्पो0 सं. 2 उपस्थित नही आये।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि धारा 11 मे केवल यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति झूठे तथ्य दर्ज करता है, उस हालात मे कार्यवाही अपेक्षित होती है। उसके पश्चात धारा 14 के अन्तर्गत नोटिस दिया जाता है। उसमे 500/—रू0 पैनेल्टी का प्रावधान है। धारा 14 की पालना मे कोई नोटिस नही दिया गया। इसलिये निर्णय स्वतः ही काबिले खारिज है। अपीलांट बरवक्त आवंटन किसी भी प्रकार से स्थाई सेवा मे नही था बल्कि अक्सर कभी कभी अस्थाई रूप से कार्य कर लेता था। अपीलांट द्वारा किसी भी तथ्य को नही छुपाया है। इसलिये आदेश जैर अपील काबिले खारिज है। मामला हाजा किसी भी प्रकार से 11 व 14 राजस्थान उपनिवेश अधिनियम मे नही आता है। आवंटन को काफी वर्ष हो चुके है, इसलिये भी आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का स्थाई आवंटन आदेश दिनांक 29.07.1981 को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 के अन्तर्गत अपीलांट को आवंटन के समय राजकीय सेवा मे होना मानते हुये निरस्त किया है। राजस्थान उपनिवेशन (ईन्द्रिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे सरकारी भूमि के आवंटन नियम 1975 के नियम) नियम 2 (xiii)(ii)(a) के अनुसार सन् 1982 से पूर्व सरकारी कर्मचारी होना अपात्रता नही थी। फिर भी अपीलांट 1981 मे कार्य प्रभारित ही था। सन् 1982 मे हुआ यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव नही रखता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन को निरस्त नही किया जाना चाहिये। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन करते हुए अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी कन्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन डीएनजे 1999(2) पेज 509, आरआरटी 2018(1) पेज 299 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 2 ने अतिरिक्त जिला कलैक्टर सूरतगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र कर यह कथन किया कि अपीलांट को रोही सूरतगढ़ के खसरा नं. 462/4 मे 25.19 बीघा अस्थाई आवंटन गलत करवाया गया क्योंकि अपीलांट सरकारी कर्मचारी एंव खुद काश्त नही करता है। इस आधार पर शिकायत दर्ज कर अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11–14 के तहत कार्यवाही बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। रेस्पो0 सं. 2 ने अतिरिक्त जिला कलैक्टर सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया कि अपीलांट को रोही सूरतगढ़ के खसरा नं. 462/4 मे 25.19 बीघा अस्थाई आवंटन गलत करवाया गया क्योंकि अपीलांट सरकारी कर्मचारी एंव खुद काश्त नही करता है। इस आधार पर शिकायत दर्ज कर अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11–14 के तहत कार्यवाही बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत 25.19 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कर भूमि बहक राज्यहित मे रिज्यूम की गई। जबकि अपीलांट दिनेशकुमार को प्रश्नगत भूमि का आवंटन दिनांक 29.07.1981 को कमी पूर्ति मे पुख्ता आवंटित हुई थी। आवंटन हेतु आवेदन करने की तिथि को अपीलांट राजकीय सेवा मे नही था बल्कि जलदाय विभाग मे मुन्शी के पद पर अस्थाई रूप से कार्य प्रभारित कार्मिक के रूप मे कार्यरत था, जो एक मजदूर की श्रेणी मे आता है। राजस्थान उपनिवेशन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ईन्द्रिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे सरकारी भूमि के आवंटन नियम 1975 के नियम) नियम 2 (xiii)(ii)(a) मे वर्णित भूमिहीन की परिभाषा के अनुसार स्थाई राजकीय कर्मचारी नही होने के कारण भूमिहीन की श्रेणी मे ही माना जावेगा। भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी से राजकीय कर्मचारी को भी वर्ष 1982 मे आवंटन नियमो संशोधन के अनुसार वर्जित किया गया था। प्रस्तुत प्रकरण मे आवंटन सन् 1980 का होने के कारण भूमिहीन की श्रेणी मे से राजकीय सेवारत कर्मचारी को वर्जित करने के प्रावधान को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नही किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट दिनेशकुमार आवंटन के समय एक कार्य प्रभारित कर्मचारी था जिसे दिनांक 02.12.1996 को स्थाई राजकीय कर्मचारी के रूप मे नियमित किया गया था। प्रश्नगत आवंटन दिनांक 29.07.1981 को किया गया, तब अपीलांट दैनिक वेतनभोगी मुन्शी था। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को राजकीय कर्मचारी मानते हुए भूमिहीन की श्रेणी से बाहर होने के कारण आवंटन को निरस्त किया गया है जो विधिपूर्ण नही होने के कारण उक्त आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही है। इसलिये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2010 को अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 09/08 अनवानी नेमीचन्द बनाम दिनेश कुमार आदि मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2010 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official